बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

।। आदेश ।।

औरंगाबाद जिलान्तर्गत बालू के के अवैध खनन एवं परिवहन की जाँच अपर सचिव, खान एवं भूतत्व एवं खनिज विकास पदाधिकारी (मु0) द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक–09.04.2025 को की गई। उक्त जाँच में भौतिक/स्थलीय जाँच में पाया गया कि जाँच स्थल पर अवैध रूप से बालू भण्डारित था। उक्त अवैध रूप से भण्डारित बालू के विरूद्ध सुश्री रूपा कुमारी, खान निरीक्षक द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि सुश्री रूपा कुमारी, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु कार्रवाई नहीं कर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को प्रश्रय दिये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

2. सुश्री रूपा कुमारी, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–3720, दिनांक–08.07.2025 से आरोप पत्र में अंकित अवचार पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. सुश्री रूपा कुमारी द्वारा दिनांक–22.07.2025 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। सुश्री रूपा कुमारी से प्राप्त लिखित अभिकथन समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। सुश्री रूपा कुमारी प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत पाये गये हैं। सुश्री रूपा कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव सुश्री रूपा कुमारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, औरंगाबाद तथा** प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद** को नियुक्त किया जाता है।

5. सुश्री रूपा कुमारी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगी एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगी।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–आरोप पत्र साक्ष्य सहित (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं सुश्री रूपा कुमारी हेतु)

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O.

Sanj/bach/karyalaya adesh

ज्ञापांक–प्र0–II–अरा0(आ0)–04/2025–............................/एम0, पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, औरंगाबाद**,–सह–संचालन पदाधिकारी/**खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद**–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/सुश्री रूपा कुमारी, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन (मंतव्य सहित) विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–04/2025–........................../एम0, पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–04/2025–........................../एम0, पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–04/2025–........................../एम0, पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, अंचल कार्यालय, मगध, गया/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–04/2025–4886/एम0, पटना, दिनांक 30/08/25

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

29/08/25

सरकार के अपर सचिव

Sanj/bach/karyalaya adesh